रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270074
CG-DL-E-12022026-270074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947
No. 637] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

का.आ. 671(अ).—जबकि मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड, आवेदक ने जिसका पंजीकृत पता "समन्यवय", 600, तपोवन, अंबावाड़ी, अहमदाबाद भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "गुजरात मे नवसारी के पास मेसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के तौर पर 160 MW की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/76/2025-PG दिनांकित 29.07.2025 के अंतर्गत "गुजरात मे नवसारी के पास मेसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के तौर पर 160 MW कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड, ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), राजस्थान पत्रिका (हिंदी में), गुजरात मित्र (गुजराती में), संदेश (गुजराती में) दिनांक 02.08.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 16.08.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके बाद, मेसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड ने 10.12.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "गुजरात मे नवसारी के पास मेसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के तौर पर 160 MW कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं :

- टोरेंट पावर लिमिटेड (भतर) - नवसारी (नया) (जीआईएस) 220 केवी डी/सी लाइन

[कुल लाइन की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे मौजूदा सुजेन-टीपीएल (भतर) 220 केवी डीसी लाइन के लगभग 13 किलोमीटर हिस्से का उपयोग करके बनाया जाएगा, जो टीपीएल (भतर) से लेकर स्थान संख्या 182 (ग्राम उबेर, तालुका सचिन, जिला सूरत, गुजरात) तक है। इसके बाद, स्थान संख्या 182 से नवसारी (नया) (जीआईएस) तक लगभग 17 किलोमीटर लंबी 220 केवी डीसी लाइन का निर्माण मल्टी सर्किट टावरों पर किया जाएगा, जिससे टीपीएल (भतर) - नवसारी (नया) (जीआईएस) 220 केवी डीसी लाइन बनेगी। सुजेन - टीपीएल (भतर) 220 केवी डीसी लाइन का शेष भाग सुजेन छोर से अलग कर दिया जाएगा।]

उपरोक्त योजना के अंतर्गत कवर की गई ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेंगी।

क्रम सं.	गांवों के नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1	दीपला, उभराट, दांति, भाठा, मगोव, करांखट	जलालपोर	नवसारी	गुजरात
2	उबेर, गभेनी, तलगंपोर, कनसाड	उधना	सूरत	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड, को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड, को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/7/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th February, 2026

S.O. 671(E).—Whereas M/s Torrent Power Limited the applicant with its registered address at “Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the Transmission Scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Torrent Power Limited for 160 MW as Distribution Licensee near Navsari, Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/76/2025-PG, Dated 29.07.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Torrent Power Limited for 160 MW as Distribution Licensee near Navsari, Gujarat".

M/s Torrent Power Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Indian Express (in English), Rajasthan Patrika (in Hindi), Gujarat Mitra (in Gujarati), Sandesh (in Gujarati) dated 02.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 16.08.2025 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Torrent Power Limited has submitted an affidavit dated 10.12.2025 declaring that no observation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines for M/s Torrent Power Limited. The following overhead transmission lines are covered under this scheme:

- Torrent Power Limited (Bhatar) – Navsari (New) (GIS) 220 kV D/c line

[The total line length is 30 kms (approx.) which is to be implemented by utilizing 13 kms (approx.) portion of existing Sugen – TPL (Bhatar) 220 kV D/c line from TPL (Bhatar) upto Loc. No. 182 (at Village Uber, Taluka Sachin, District Surat, Gujarat) and thereafter new construction of 17 kms (approx.) 220 kV D/c line on M/c towers from Loc. No. 182 to Navsari (New) (GIS) so as to form TPL (Bhatar) – Navsari (New) (GIS) 220 kV D/c line. Balance portion of Sugen – TPL (Bhatar) 220 kV D/c line would be disconnected from Sugen end]

The above overhead transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat state:

S. No	Names of villages	Tehsil	District	State
1	Dipla, Ubhrat, Danti, Bhatha, Magob, Karankhat	Jalalpore	Navsari	Gujarat
2	Umber, Gabbheni, Talangpore, Kansad	Udhna	Surat	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Torrent Power Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Torrent Power Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/7/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.12 14:24:37 +05'30'